

बैंक प्रकरण सं० 09/2019 (RCMS 2019/00018) भारतीय स्टेट बैंक,  
 कृषि-कृषि विकास शाखा घड़साना, जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री गोविंद कुमार  
 लाल, मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-04, हनुमानगढ  
 ब्लॉक 1, बहाल सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह निवासी चक 2 पीएम"बी" ग्राम पंचायत  
 8 पीएसडी-ए, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर 2, श्री हरदेव  
 सिंह पुत्र श्री साधू सिंह निवासी चक 2 पीएम"बी" ग्राम पंचायत 9 पीएसडी-ए,  
 रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

18.12.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई।  
 पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी  
 द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति  
 हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक  
 द्वारा अप्रार्थी बहाल सिंह एवं हरदेव सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 4.00 लाख  
 रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) का ऋण दिनांक 04.07.2013 को स्वीकृत किया  
 था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री बहाल सिंह की रिहायशी सम्पत्ति  
 चक 2 पीएम"बी", ग्राम पंचायत 9 पीएसडी"ए", रावला मंडी तहसील घड़साना,  
 जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 90' गुणा 170' वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के  
 पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार  
 नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण  
 खाता दिनांक 30.03.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर  
 दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 15.09.2017 को 4,09,277/-रूपये ऋण  
 राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर  
 अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक  
 15.09.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2)  
 के रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि

रावला मण्डी  
 श्री गंगानगर

जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी बहाल सिंह द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त रिहायशी सम्पत्ति चक 2 पीएम'बी', ग्राम पंचायत 9 पीएसडी'ए', रावला मंडी तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 90' गुणा 170' वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी बहाल सिंह एवं हरदेव सिंह को 4.00/-लाख रुपये (अखरे रुपये चार लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 04.07.2013 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बहाल सिंह द्वारा अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति चक 2 पीएम'बी', ग्राम पंचायत 9 पीएसडी'ए', रावला मंडी तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 90' गुणा 170' वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 30.03.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 15.09.2017 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 18.09.2017 को रजिस्टर्ड पोस्ट जारी किया गया है, की रसीद एवं प्राप्ति की पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक कन्साईनमेंट भी पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थी बहाल सिंह एवं हरदेव सिंह को उक्त धारा 13(2) का नोटिस तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल रिहायशी सम्पत्ति चक 2 पीएम'बी', ग्राम पंचायत 9 पीएसडी'ए', रावला मंडी तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 90' गुणा 170' वर्गफुट) जो ऋणी बहाल सिंह के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 15.09.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 15.09.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी बहाल सिंह एवं हरदेव सिंह को प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप धारा 13(2) नोटिस पावती का पोस्ट ऑफिस का ऑनलाईन ट्रैक कन्साईटमेंट रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी बहाल सिंह द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

उक्त प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक-शाखा कृषि विकास शाखा, घड़साना, जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल रिहायशी सम्पत्ति चक 2 पीएम"बी", ग्राम पंचायत 9 पीएसडी"ए", रावला मंडी तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 90' गुणा 170' वर्गफुट) जो कि ऋणी बहाल सिंह के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर